

रामनाथ कुशवाहा

आमला दि. 19-7-18 को

वा. प्रा. सं. ब. के. से तु
कि. 25-7-18 नियत।

कि. नं. - 4524/2018 सीधी भू. रा.

पुनरीक्षण प्र. उ.

राजस्व मण्डल, म. प्र. खालियर

मुस० बबुली पत्नी जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-60 वर्ष

- 2- रामनाथ कुशवाहा पिता जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-24 वर्ष
- 3- ओम प्रकाश पिता जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-22 वर्ष
- 4- सुमन पुत्री जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-20 वर्ष, सभी निवासी
ग्राम-मधुरी कोठार तहसील गोपद बनास जिला-सीधी म० प्र०

पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

रामनाथ कुशवाहा

आवेदक
दिनांक

19/7/2018

- 1- मोहन कुशवाहा पिता छवीले कुशवाहा
- 2- पार्वती तनय छवीले कुशवाहा
- 3- उदयराज पिता छवीले कुशवाहा फौ०
- 3.क- तनेसिया पति उदयराज
- ख- प्रमोद पिता उदयराज
- ग- देवीदीन पिता उदयराज
- 4- सरोज पिता छवीले कुशवाहा
- 5- शिवराज पिता छवीले कुशवाहा
- 6- फूटे पिता छवीले कुशवाहा
- 7- मुल्ले पिता छवीले कुशवाहा
- 8- कुंवारे पिता बंशी कुशवाहा फौ० वारिसान


रामनाथ कुशवाहा

क- श्री निवास तनय कुंवारे

9- बैजनाथ पिता छवीले कुशवाहा, सभी निवासी ग्राम-तरका तहसील
बहरी जिला-सीधी म0प्र0 -----गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार बहरी के प्रकरण क्रमांक.
153/अ-74/2017-18 मे पारित
आदेश दिनांक-30.06.2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगा-4524/18/21/1/21

शु. न. न. ली / महेश चंद्र शर्मा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
26/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>श्री. म. माथ. सु. शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार <u>न. द. श.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>153/31-74/17-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-6-18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>श. द. श.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>श. द. श.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"><u>स. द. श.</u></p>